सत्यनारायण बनाम श्रवण (2024/64)

| क्र.सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष |
|---|---|---|---|
| | 19/11/2024 | पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। तथा प्रार्थना पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश 27/11/2024 को पेश हो। | |
| | 27/11/24 | पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 27/11/24 को पेश हो। | |
| | 27.11.2024 | प्रार्थी / वादी की ओर से वकील श्री राजेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद पत्र को पुनः स्थापित करने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण सत्यनारायण बनाम श्रवण वगै0 [redacted] मुकदमा संख्या 31 / 2015 को दिनांक 16.04.2024 को प्रार्थी व वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना द्वारा न्यायालय समय में उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.04.2024 को नियत तारीख पेशी पर नहीं आने व प्रार्थी को तारीख पेशी का मुगालता होने के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित आने से पूर्व ही पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाये जाने के आदेश हो चुके थे। प्रार्थी के प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण सत्यनारायण बनाम श्रवण वगै0 मुकदमा संख्या 31 / 2015 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में आगामी पेशी 18.12.2024 नियत की जाती हैं। प्रार्थना पत्र बाजदायरी दर्ज रजिस्टर (स्वकाम) की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बस्सी | |